THE PIONEER

r- education in the school. | or any products outside the | "As per the plans, they can

JHALSA training programme focuses on curbing workplace harassment

PNS ■ JAMSHEDPUR

Though women are very much empowered by the laws, the social stigma is forcing them to remain silent

The Jharkhand State Legal Services Authority's (JHALSA) two-day workshop and training programme for 70 lawyers empanelled with various district legal services authorities (DLSAs) in the State at New Court premises concluded on positive note on Sunday.

Presiding over the session, Anand Vijay Singh, Judicial Commissioner, Ranchi said that women are subjected to various forms of violence be at home or workplace. He said that steps should be taken at creating awareness about Protection of Women from Domestic Violence Act (PWDV) Act 2005.

He said that though the women are very much empowered by the laws such as domestic violence, dowry harassment, indecent behaviour at work place but the social stigma is forcing them to remain silent.

Sanjay Ghosh, lawyer of Delhi High Court said that the lawyers must understand not only the legal perspectives of the Act, but also the social implications.

He impressed upon the need for ensuring that the Act was used in the right sense.

Vaishali Dewal, legal expert from Delhi University said that the message of punishment under the domestic violence and various other Acts to the men involved in crime against the women should be informed by their male counterparts by awareness programmes.

The speakers during the session also highlighted the Visakha guidelines that the Supreme Court of India laid down in 1997 for dealing with sexual harassment at the workplace.

The Vishakha guidelines define sexual harassment as physical contact and advances, a demand or request for sexual favours, sexually coloured remarks, showing pornography or any unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature.

G K Tiwary, secretary, District Legal Services Authority said that during the two-day deliberations experts focussed on the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 (PWDVA) and Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO), 2012.

He informed that 70 empanelled lawyers participated in the training programme 30 of whom were from Jamshedpur, 20 from Chaibasa and 20 from Seraikela.

वर्कर्स यूनियन सभागार एसआरए रिजवी छब्बन की अध्यक्षता में हुई. बैठक सरवर हुसैन, अनवर अदीब, प्रो. जावेद अख्तर, महमूद शेख, बिस्मिल आदि मौजूद थे.

बैठक करते दुनिया-ए-अदब के पदाधिकारी.

बचपन से ही कुछ नया करने के लिए उत्सुक रहते हैं. पूर्ण ईमानदारी एवं तत्परता के साथ दायित्व का निर्वहन

भारतीय मारवाड़ी (प्रान्तीय अध्यक्ष)

दहेज उत्पीड़न की जगह डोमेस्टिक वॉयलेशन का केस दर्ज करने पर

पैनल लॉयर्स का दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन

जमशेदपुर : स्थानीय व्यवहार न्यायालय के लोकअदालत कक्ष में आयोजित महिला व बाल उत्पीड़न हिंसा की रोकथान के लिये पैनल लॉयर्सों दिये जा रहे दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हो गया. न्यायिक आयुक्त झारखंड हाईकोर्ट अनंत बिजय सिंह ने राज्य में महिला व बाल हिंसा की स्थिति पर प्रकाश डालते हुये कहा कि रांची में इस तरह के मामले ज्यादा आ रहे हैं और वह राज्य में औवल है. दूसरा स्थान धनबाद और उसके बाद जमशेदपुर का आता है. इस मौके पर दिल्ली विश्व विद्यालय के

प्रशिक्षण शिविर में मौजूद पैनल लॉयर्स.

लॉ विभाग के सहायक प्रोफेसर बागेश्वरी देशाल ने अपने विचार रखते हुये बताया कि पैनल लॉयर्स को इस तरह के मामलों को कैसे हेंडल करना है? इसको समझने की जरुरत है. निर्भयाकांड के बाद कानून में किये गये संशोधन के बारे में भी अधिवक्ताओं को पूरी जानकारी दी गई. दिल्ली हाईकोर्ट की अधिवक्ता श्रीमती दिलाशा और एस. घोष ने वैवाहिक मामलों में आ रहे मनमुटाव के बीच विश्वास पैंदा करने की विधि का इस्तेमाल करने पर बल दिया. विशिष्ट वक्ता के तौर प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेने पहुंची वरिष्ट अधिवक्ता किरण शर्मा ने भी अपने विचार रखे. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसएच काजमी, झासला के सचिव नवनीत कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्यप्रकाश सिन्हा, सीजेएम एके सिंह, झालसा के उपसचिव राजेश कुमार, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जीके तिवारी भी इस मौके पर उपस्थित थे. वक्ताओं ने अपने विचार में इस बात पर बल दिया कि दहेज उत्पीड़न की धारा 498 ए के बजाय डोमेस्टिक वॉयलेंस के तहत मामले दर्ज किये जायें. इसके अलावे पोस्को एक्ट और यौन उत्पीड़न के मामलों पर भी विचार विमर्श किया गया और विचार रखे गये. इसके पहले प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन शनिवार को झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आरआर प्रसाद और डीएन उपाध्याय ने संयुक्त रुप से दीपप्रज्वलित कर किया था.

प्रभात खबर

केस की मुख्य बात को समझ कर करें काम

प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते अतिथि (इनसेट) व उपस्थित अधिवक्ता.

संवाददाता, जमशेदपुर

अधिवक्ता किसी भी केस की जांच से पूर्व केस को पहले अच्छी तरह से समझें. उसके बाद केस की मुख्य बात को केंद्रित कर उस पर सही धारा लगा कर काम करें, ताकि पीड़ित को सही न्याय मिल पाये. उक्त बातें रविवार को पैनल लॉयर्स प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम के समापन समारोह पर रांची के ज्यूडिशियल कमिश्नर अनंत विजय सिंह ने कहीं. श्री सिंह ने महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराध को कम करने पर जोर दिया. मौके पर मुख्य वक्ता के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर बागेश्वरी जयसवाल, दिल्ली हाई कोर्ट के संजय घोष और किरण जोशी मौजूद थे.

- कोल्हान के करीब 70 अधिवक्ता हुए शामिल

प्रोफेसर बागेश्वरी जयसवाल ने अधिवक्ताओं को दिल्ली में हुए निर्भया कांड का उदाहरण देते हुए बताया कि उक्त मामले में कौन-कौन से प्वाइंट सामने आये थे व दुष्कर्म मामले में कौन-कौन से बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना होता है. प्रशिक्षण कार्यशाला में मौजूद संजय घोष और किरण जोशी ने भी पैनल लॉयर्स को पोस्को ,बाल अपराध से संबंधित कई प्रकार की जानकारी दी गई. गौरतलब है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में पैनल लॉयर्स के लिए शनिवार को दो दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया गया था. जिसमें कोल्हान के कुल 70 अधिवक्ताओं ने भाग लिया था. कार्यक्रम को सफल बनाने में एडीजे-छह अशोक कुमार, डालसा के सचिव जीके तिवारी, पीएलबी और न्याय सदन के लोगों का योगदान रहा.